न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा:– दावा/110/2017

[illegible] पुत्र जोधा, जाति जाट निवासी ग्राम घिरणियां बड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0

– वादी

बनाम्

1. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी (सेटलमेन्ट), सीकर जिला सीकर
2. पटवारी हल्का, घिरणियां बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भूधारक , राजस्थान सरकार
4. मोहनी देवी जोधा
5. नारायणराम } पुत्रगण जोधा
6. [illegible]

} समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ग्राम घिरणियां बड़ा तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजियात खसरा नम्बर 408 रकबा 1.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.81 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 438 रकबा [illegible] हेक्टेयर, खसरा नम्बर 447 रकबा 5.35 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 5.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 430 रकबा 4.42 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.90 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 5.30 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 4.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 3.82 हेक्टेयर वाके ग्राम घिरणियां बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0 में अवस्थित आराजियात है जिन्हे आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जावेगा। कि वाके ग्राम घिरणियां बड़ा में अवस्थित आराज़ियात खसरा नम्बर 408, खसरा नम्बर 409, खसरा नम्बर 410 में वादी का 1/12 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 436, खसरा नम्बर 437, खसरा नम्बर 438, खसरा नम्बर 447 में से वादी का 1/8 हिस्सा, खसरा नम्बर 446 में से वादी व इनके भाईयों व मां के नाम 3/4 हिस्सा दर रकबा 2.70 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 430, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 432, खसरा नम्बर 463, खसरा नम्बर 535 में से 1/8 हिस्सा भूमि भाग व खसरा नम्बर 433 में से 1/8 हिस्सा दर रकबा 1.80 हेक्टेयर भूमि भाग वादी को अपने पिता जोधाराम की विरासत से जरिये नामान्तरण संख्या [illegible] के द्वारा वादी के नाम 2009 में खातेदारी दर्ज हुई तब वादी बतौर खातेदार काबिज चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण ने हाल ही में सेटलमेन्ट लागू करते समय वादी के नाम उक्त वादग्रस्त आराजियात में से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड से हटा दी गई जिनको बिना किसी आदेश ऐसा करने का कोई विधिक हक अधिकार नहीं था तथा वादी के हक अधिकारों के समक्ष कतई गलत व आधारहीन होने के कारण वादी को वादग्रस्त आराजियात में उक्तानुसार काबिज खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त फरमाया जावें। कि वादग्रस्त आराजियात में वादी का हिस्सा विरासतन प्राप्त होने व वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने के आधार पर आराजियात में अहम हित निहित है प्रतिवादीगण को वादी के नाम बनी खातेदारी को बिना किसी आदेश के हटाया जाने का कोई विधिक हक अधिकार नहीं था तथा अब वर्तमान में वादी के नाम आराजियात की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदारी हक अधिकार आक्रमणग्रस्त होने की प्रबल संभावना हो गई है तथा अपने खातेदारी हक अधिकार पूर्णतया संकटमय प्रतीत हो रहे है इस स्थिति में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें इसके लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना आवश्यक है कि वे अपने यहां से किसी प्रकार का प्रलेख पंजीबद्ध नहीं करें। यह कि वादी वादग्रस्त आराजियात में विरासत न खातेदारी हक व अधिकार होने के कारण वादी का वाद प्रथमदृष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के सिद्धान्त वादी के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण वादी अपने नाम की खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह कि वादी ने खातेदारी से बिना किसी आधार पर नाम हटा दिया जाने के कारण दुरूस्त कर पुनः नाम जुड़वाने के लिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के यहां काफी चक्कर लगाये, विनती की लेकिन ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गये, इंकारी के दिन से दिनांक 08–09–2017 से वादकारण व हकनालिश हासिल हुआ व वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ। यह कि वाद पत्र में प्रतिवादीगण

अवैध होने के कारण वादी का वाद अत्यावश्क प्रकृति का होने के कारण वादी द्वारा बिना विधिक नोटिस दिये ही प्रस्तूत किया जाना आवश्यक हुआ जिसकी अनुमति हेतू अलग से आवेदंन अन्तर्गत धारा 80 सी0पी0सी0 प्रस्तूत कर अनुमति प्राप्त कर ली गई है। यह कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम घिरणियां बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0 की सीमा में अवस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय कों हासिल है। यह कि वाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर सावधि सादर प्रस्तुत है।

यह कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 408 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.81 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 447 रकबा 5.35 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 5.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 430 रकबा 4.42 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.90 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 5.30 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 4.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 3.82 हेक्टेयर वाके ग्राम घिरणियां बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0 में अवस्थित है में से वादी का नाम पूर्व रिकॉर्ड में था वर्तमान जमाबन्दी में खातेदारी सहवन से हटा दी गई है को वादी के नाम वाद पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार दर्ज की जाने की उद्घोषणा फ़रमाते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावें। कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंन्धिम फरमाया जावें कि वे वादी के एकान्तिक कब्जे काश्त व खातेदारी में किसी प्रकार की दखलदांजी व खातेदारी हक व अधिकार को खुद–बुर्द नहीं करें। कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हों प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 व 3 पर विधिवत तामील हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 4 ता 6 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती का होने से तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। अतः उक्तानुसार मुताबिक राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा के आधार पर उभयपक्ष ने वाद डिक्री किये जाने का भी अनुरोध किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। साथ ही प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोट तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर, इकबाली जवाब दावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेजात व उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 408 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.81 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 447 रकबा 5.35 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 5.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 430 रकबा 4.42 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.90 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 5.30 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 4.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 3.82 हेक्टेयर वाके ग्राम घिरणियां बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0 में अवस्थित है में से वादी तुलछाराम पुत्र जोधा का नाम पूर्व रिकॉर्ड अनुसार ही वर्तमान जमाबन्दी में वादी तुलछाराम पुत्र जोधा को जोधाराम के अन्य वारिसान के साथ खातेदारी में नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी, घिरनियां बड़ा की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

तुलछाराम बनाम सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी (सेटलमेन्ट), सीकर आदि

<u>दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नम्बर :– 110/2017 **निर्णय दिनांक– 17.01.2018**

वादी व प्रतिवादीगण अभिभाषक की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.01.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 408 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.81 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 447 रकबा 5.35 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 5.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 4.42 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.90 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 5.30 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 4.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 3.82 हेक्टेयर वाके ग्राम घिरणियां बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0 में अवस्थित है में से वादी तुलछाराम पुत्र जोधा का नाम पूर्व रिकॉर्ड अनुसार ही वर्तमान जमाबन्दी में वादी तुलछाराम पुत्र जोधा को जोधाराम के अन्य वारिसान के साथ खातेदारी में नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी, घिरनियां बड़ा की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 17.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ______ रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official